

- 9- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फमेंन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 10-ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।
- 11- अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- 12- वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।
- 13- जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- 14-निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।
- 15- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4840
पत्रांक /अभि0नि0-6/विद्युत/ई-निविदा /गीडा/2024-24 दिनांक 02 फरवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी